सहकारी निर्वाचन मार्गदर्शिका 2014

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	भूमिका	1
2.	निर्वाचन से सम्बन्धित कुछ महत्व पूर्ण परिभाषायें	2
3.	निर्वाचन क्षेत्रों का अवधारण	4
4.	निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति एवं निर्वाचन कार्यक्रम का प्रकाशन	6
5.	नामांकन शुल्क	7
6.	सहकारी समिति के सदस्य जो मतदान में भाग ले सकते है	8
7.	अनहर्ता	10
8.	समिति के सचिव/प्रबंध निदेशक का उत्तरदायित्व	13
9.	निर्वाचन अधिकारी के कर्तव्य	13
10.	निर्वाचन का रोका जाना एवं पुनः प्रारंभ किया जाना	20
11.	मतदान हेतु निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करायी जाने वाली सामग्री का विवरण	21
12.	निर्वाचन वाद	22
13.	सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्पन्न कराने के सम्बन्ध में मुख्य चेक पॉइंट्स	23
	परिशिष्ट- ‘1’	25
	परिशिष्ट- ‘2’	27
	परिशिष्ट- ‘3’	29

भूमिका

उ०प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अन्तर्गत गठित सहकारी समितियों का अन्तिम प्राधिकार समिति के सामान्य निकाय में एवं सहकारी समितियों के प्रबन्धन का अधिकार अधिनियम की धारा-29 के अन्तर्गत समिति की प्रबन्ध कमेटी में निहित किया गया है, जो सामान्य निकाय के सदस्यों द्वारा अधिनियम/नियमवाली एवं समिति की उपविधियों के अन्तर्गत गठित/निर्वाचित की जाती है।

उ०प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 में किये गये संशोधन दिनांक 28-03-2013 द्वारा धारा-29 में संशोधन करते हुए प्रत्येक सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित किया गया है। साथ ही प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन करने के लिए निर्वाचन, उ०प्र० राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशों के अधीन किये जाने का प्राविधान किया गया है।

उ०प्र० सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम-470 में निहित व्यवस्था के अधीन सहकारी समितियों के निर्वाचन को विनियमित किये जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव पर उ०प्र० राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली 2014 का प्रख्यापन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 19-05-2014 को किया गया है।

सहकारी समितियों के निर्वाचन को निष्पक्ष एवं नियम संगत ढंग से सुचारू रूप से सम्पादित किये जाने हेतु उ०प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 एवं उ०प्र० सहकारी समिति नियमवाली, 1968 तथा उ०प्र० राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2014 के निर्वाचन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण धाराओं एवं नियमों का संज्ञान, निर्वाचन कार्य से सम्बद्ध अधिकारीयों/कर्मचारियों की सहायता के लिए सहकारी निर्वाचन मार्गदर्शिका 2014 प्रकाशित की जा रही है।

स्पष्टीकरण:- यदि इस मार्गदर्शिका में उल्लिखित कोई बिंदु उ०प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965, उ०प्र० सहकारी समिति नियमवाली 1968 तथा उ०प्र० राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली 2014 में उल्लिखित प्राविधानों के असंगत अथवा भिन्न हो तोह ऐसी स्थिति में सहकारी अधिनियम, सहकारी नियमवाली एवं निर्वाचन नियमावली के सुसंगत प्राविधान ही प्रभावी माने जायेंगे।

1- निर्वाचन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण परिभाषाएं:-

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 से है;

(ख) ''आयोग'' का तात्पर्य ''उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग'' से है;

(ग) ''सहकारी नियमवाली'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी नियमवाली 1968 से है;

(घ) ''निर्वाचन'' का तात्पर्य:-

(1) प्रतिनिधियों, या

(2) प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों या

(3) सहकारी समिति के सभापति/उपसभापति, अथवा अन्य समिति को भेजे जाने वाले प्रतिनिधि के निर्वचान से है;

(ड.) ''मतदाता" का तात्पर्य किसी ऐसे सद्स्य/प्रतिनिधि से है, जो अधिनियम, नियम और समिति की उपविधियों के अधीन मतदान करने का हकदार हो और इसके अन्तर्गत किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में अधिनियम की धारा-24 या धारा-29(7) के अधीन नाम निर्दिष्ट या नियम-42(ख) या 450 के अधीन सहयोजित या नियम-451 के अधीन नाम निर्दिष्ट व्यक्ति भी है और उसके नाम निर्वाचन के लिए तैयार की गयी सम्बद्ध समिति या निर्वाचन क्षेत्र के अंतिम मतदाता सूचि में हो;

(च) "मतदाता सूची" का तात्पर्य निम्नलिखित से है-

(एक) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के निर्वाचन की स्थिति में, सामान्य निकाय के, यथास्थिति प्रतिनिधियों/सदस्यों के सूची;

(दो) समिति के सभापति, उपसभापति या प्रतिनिधियों के निर्वाचन की स्थिति में, सरकारी सेवकों से भिन्न प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित, सहयोजित और नाम निर्दिष्ट सदस्यों की सूची:-

(तीन) सदस्य के प्रतिनिधि के निर्वाचन की स्थिति में, उस क्षेत्र के या जहाँ से सम्बद्ध समिति के सामान्य निकाय में प्रतिनिधि निर्वाचित किया जाना हो, सदस्यों की सूची;

(छ) "उम्मीदवार" का तात्पर्य अधिनियम, नियम या समिति की उपविधियों के अधीन पात्र ऐसे मतदाता से है, जो निम्नलिखित रूप में निर्वाचन लड़ने के लिए नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करता है:-

(एक) प्रतिनिधि के रूप में, या

(दो) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के रूप में, या

(तीन) सहकारी समिति के सभापति या उपसभापति के रूप में;

(ज) "अनुसूचित जाति", "अनुसूचित जनजाति" और "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का वही तात्पर्य है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 में उनके लिए दिया गया है;

(झ) "मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी" का तात्पर्य सहकारी समिति के मुख्यालय से सम्बन्धित जनपद के मण्डल के मण्डलीय संयुक्त आयुक्त/उप आयुक्त एवं मण्डलीय संयुक्त निबंधक/मण्डलीय उप निबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश अथवा ऐसे अधिकारी से है, जो उक्त पद के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो;

(ञ) ''जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी" का तात्पर्य उस जनपद के जिला मजिस्ट्रेट से है,

जिसमें सम्बन्धित समिति का मुख्यालय स्थित हो,

(ट) "जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी" का तात्पर्य सहकारी समिति के मुख्यालय से सम्बन्धित जनपद के "सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक", सहकारिता अथवा ऐसे अधिकारी से है जो उक्त पद के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो;

(ठ) निर्वाचन अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार के किसी ऐसे अधिकारी से है, जिसे आयोग के निर्देशों के अधीन जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी सहकारी समिति या सहकारी समिति के वर्ग या वर्गों या किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए इस निमित्त निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया हो;

(ड) "सहायक निर्वाचन अधिकारी" का तात्पर्य निर्वाचन अधिकारी के कृत्यों के संपादन में सहायता करने के लिए जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त एक या एक से अधिक नियुक्त अधिकारी से है;

(ढ) "मतदान अधिकारी" का तात्पर्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों में मतदान स्थल के लिए नियुक्त अधिकारी से है जिसे निर्वाचन अधिकारी के कृत्यों के संपादन में सहायता करने और ऐसे अन्य कार्य हेतु नियुक्त किया गया हो, जो इस नियमावली के अधीन अपेक्षित हो;

(ण) "सहकारी निर्वाचन पर्यवेक्षक" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है, जिसे आयोग द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों या समितियों के किसी वर्ग या वर्गों की सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं नियम संगत कार्रवाई का पर्यवेक्षण किये जाने हेतु नियुक्त किया गया हो;

(त) "चुनाव चिन्ह" का तात्पर्य आयोग द्वारा सहकारी समिति के उम्मीदवार के निर्वाचन हेतु अनुमोदित प्रतीक चिन्ह से है;

(थ) "निर्वाचन क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र है, जहाँ से निर्दिष्ट संख्या में सामान्य निकाय के प्रतिनिधि अथवा कमेटी के सदस्य के निर्वाचन हेतु जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए;

(द) "निर्वाचन स्थल" का तात्पर्य समिति के कार्यालय या मुख्यालय या जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिसूचित कार्यालय या मुख्यालय के यथासंभव निकटतम किसी सार्वजनिक स्थल से है;

(ध) "मतदान स्थल" का तात्पर्य समिति के कार्यालय या मुख्यालय या जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिसूचित किसी सार्वजनिक स्थल से है तथा सामान्य निकाय के गठन हेतु प्रतिनिधियों के निर्वाचन के मामले में मतदान स्थल, समिति के कार्यालय या मुख्यालय या शाखा के अतिरिक्त कोई अन्य सार्वजनिक स्थान होगा, जैसा निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवधारित किया गया हो;

(न) "निर्वाचन वाद" का तात्पर्य सहकारी समिति के निर्वाचन के पश्चात्, निर्वाचन से क्षुब्ध पक्षकारों द्वारा अधिनियम की धारा 70 के अधीन संस्थित वाद से है।

स्पष्टीकरण- इस नियमावली में प्रयुक्त परन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम और सहकारी नियमावली में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।

2- निर्वाचन क्षेत्रों का अवधारण

1- आयोग द्वारा किसी सहकारी समिति अथवा सहकारी समिति के किसी वर्ग या वर्गों के लिए निर्वाचन तिथियाँ निर्धारित किये जाने के पश्चात संबंधित समितियों के निर्वाचन हेतु क्षेत्र अवधारण की कार्रवाई उ०प्र० सहकारी समिति नियमावली, 1968 एवं उ०प्र० राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2014 के अध्याय-3 के सुसंगत प्राविधानों के अधीन की जायेगी। (नियम-23)

2- प्रदेश की समस्त प्रारम्भिक सहकारी समितियों, जो किसी भी विभाग यथा-सहकारिता, गन्ना, दुग्ध, आवास,रेशम, मत्स्य, उद्यान, एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग तथा खादी एवं ग्रामोद्योग में पंजीकृत हों, के क्षेत्र अवधारण का उत्तरदायित्व सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता/जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी का है।

इसी भाति जिला/केन्द्रीय सहकारी समितियों के क्षेत्र अवधारण की कार्रवाई सहकारिता विभाग के संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक/उप आयुक्त एवं उप निबंधक सहकारिता/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन द्वारा की जाएगी। (नियम-24)

3- क्षेत्र अवधारण की कार्रवाई किये जाने के पूर्व यह आवश्यक होगा की सहकारी समिति द्वारा आयोग द्वारा नियत किया गया अवधारण शुल्क जमा कर दिया गया हो। (नियम-64)

<u>कृपया आयोग द्वारा सहकारी समितियों के लिए नियत किये गए अवधारण शुल्क से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28-05-2014, जो परिशिष्ट-1 पर स्थित है, अवलोकनीय है</u>।

4- सहकारी समितियों के प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों या यथास्थिति सहकारी समितियों के सामान्य निकाय के प्रतिनिधियों के प्रयोजनार्थ अधोलिखित का उल्लेख करते हुए अनंतिम क्षेत्र अवधारण किसी प्रमुख दैनिक पात्र में प्रकाशित कर सात दिन के भीतर आपत्तियाँ प्राप्त की जायेंगी।

(क) निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, जिसमें, सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र को विभाजित किया जायेगा,
(ख) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार
(ग) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आवंटित स्थानों की संख्या
(घ) क्षेत्र का चिन्हांकन तथा आरक्षित स्थानों की संख्या

5- सामान्य निकाय के गठन हेतु क्षेत्र अवधारण करते समय उ०प्र० सहकारी समिति नियमवाली, 1968 के नियम 84-क(4) के प्रतिबन्धात्मक खंड के संगत अधिकतम 100 प्रतिनिधियों हेतु क्षेत्र अवधारण की कार्रवाई की जाएगी,

परन्तु उ०प्र० सहकारी समिति नियमवाली, 1968 में हुए अड़तालिसवे संश्धन दिनांक 4-4-2013 के संगत गन्ना सहकारी समितियों और सहकारी चीनी कारखाना समितियों के मामले में यह संख्या उनकी उपविधियों के अनुसार होगी परन्तु किसी भी दशा में 1500 से अधिक नहीं होंगी।

सामान्य निकाय के गठन हेतु प्रतिनिधियों के निर्वाचन में किसी भी वर्ग विशेष के लिए स्थान आरक्षित नहीं किये जायेंगे।

6- प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों हेतु क्षेत्र अवधारण की कार्रवाई करते समय सहकारी अधिनियम के धारा-29(5) के प्रतिबंधात्मक खंड एवं निर्वाचन नियमवाली के नियम 28 के संगत 4 संचालक पद आरक्षित किये जायेंगे जिनमें से एक अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए, एक स्थान नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए तथा दो स्थान महिलाओं के लिए होंगे।

7- निर्वाचन क्षेत्र का नाम प्रत्येक दशा में हिंदी वर्णमाला में उल्लिखित किया जायेगा जिससे निर्वाचन नियमवाली-2014 के नियम 28 के संगत चक्रानुक्रम में स्थान आरक्षित किया जाना संभव हो सके।

8- अनंतिम अवधारण में प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई ऐसे प्रकाशन के ग्यारहवें/बारहवें/तेरहवें दिन जैसा की अनंतिम अवधारण में उल्लिखित किया गया हो, में किया जायेगा।

9- पारदर्शिता के संगत निर्वाचन नियमवाली के नियम 4(क) के प्राविधानानुसार सुनवाई के पश्चात सम्बन्धित पंजिका पर आपत्तिकर्ता एवं क्षेत्र अवधारण करने वाले प्राधिकारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षर किये जायेंगे।

10- प्राप्त आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण करते हुए किये गए अनंतिम अवधारण को पन्द्रहवें दिन प्रमुख दैनिक समाचार में प्रकाशित किया जायेगा।

11- सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी में सदस्यों की अधिकतम संख्या निम्नानुसार होगी:-

(क) प्रारंभिक सहकारी समितियों की स्थिति में-13

(ख) केन्द्रीय सहकारी समितियों की स्थिति में-15

(ग) शीर्ष सहकारी समितियों की स्थिति में-17

12- सहकारी अधिनियम की धारा-18(2)(ख) के अनुसार समिति में सहानुभूतिकर सदस्यों की संख्या किसी भी समय, साधारण सदस्यों की कुल संख्या के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और प्रबन्ध कमेटी में सहानुभूतिकर सदस्यों की संख्या न तो दो से अधिक होगी और न ही सहकारी समितियों की सहानुभूतिकर सदस्यों की संख्या के दस प्रतिशत से अधिक होगी और न प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की कुल संख्या के पांचवें भाग से अधिक होगी।

3- निर्वाचन अधिकारी के नियुक्ति एवं निर्वाचन कार्यक्रम का प्रकाशन :-

1- निर्वाचन नियमवाली-2014 के नियम 8 एवं नियम 30 के प्राविधानों के अनुसार आयोग द्वारा किसी सहकारी समिति या समितियों के किसी वर्ग या वर्गों के निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत किया जाने पर उस जिले, जिसमें समिति का मुख्यालय स्थित है, जिला सहकारी निर्वाचन अधिकार/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्वाचन अधिकारीयों की नियुक्ति की जाएगी।

कोई ऐसा अधिकारी/कर्मचारी निर्वाचन अधिकारी नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो उस विभाग की सहकारी समिति के प्रबन्ध या प्रशासन से सम्बद्ध हो।

2- आवश्यक होने पर निर्वाचन अधिकारी उपर्युक्त प्रतिबन्धों के अधीन मतदान अधिकारी के रूप में किसी सरकारी सेवक को नियुक्ति कर सकता है।

3- सहकारी समिति के निर्वाचन हेतु नियुक्त निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी, मतदान अधिकारी/गणना अधिकारी अपने मूल विभाग के बजट से यात्रा भत्ता लेने का हकदार होगा।

4- जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र की सहकारी समितियों, जिनका मुख्यालय उनसे समबन्धित जनपद में है, के निर्वाचन से सम्बन्धित निर्वाचन कार्यक्रम नियम 33(ख) के अनुसार स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में अनंतिम क्षेत्र अवधारण के पश्चात् एवं निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत अनंतिम मतदाता सूचि के प्रकाशन के 15 दिन पूर्व प्रकाशित करेगा।

5- समिति के सचिव या प्रबन्ध निदेशक का उत्तरदायित्व होगा की समिति के निर्वाचन कार्यक्रम एवं मतदान स्थल की सूचना अनंतिम मतदाता सूची के प्रकाशित होने की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व समिति के सूचना पट पर प्रदर्शित करे।

यह भी आवश्यक होगा की उक्त सूचना प्रारंभिक सहकारी समिति के स्थिति में सम्बन्धित विकास खंड, केन्द्रीय सहकारी समिति की स्थिति में सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय तथा शीर्ष समिति की स्थिति में आयुक्त एवं निबंधक तथा आयोग के कार्यालय के सूचना पट पर भी प्रदर्शित किया जाना अपरिहार्य होगा।

4-नामांकन शुल्क:-

1- कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित फीस देकर नाम निर्देशन प्रपत्र (प्रपत्र ट) निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर सकता है:- (नियम-39(1))

(क) प्रारंभिक सहकारी समितियों की स्थिति में:-

(एक)	प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के नामांकन हेतु-	पाँच सौ रुपये
(दो)	सभापति/उपसभापति पद पर नामांकन हेतु-	एक हजार रुपये
(तीन)	प्रतिनिधि पद पर नामांकन हेतु	एक सौ रुपये

(ख) जिला/केन्द्रीय सहकारी समितियों के स्थिति में:-

(एक)	प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के नामांकन हेतु-	एक हजार रुपये
(दो)	सभापति/उपसभापति पद पर नामांकन हेतु-	दो हजार रुपये
(तीन)	प्रतिनिधि पद पर नामांकन हेतु-	पाँच सौ रुपये

(ग) राज्य स्तरीय/शीर्ष सहकारी समितियों की स्थिति में:-

(एक)	प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के नामांकन हेतु-	दो हजार रुपये
(दो)	सभापति/उपसभापति पद पर नामांकन हेतु-	पाँच हजार रुपये
(तीन)	प्रतिनिधि पद पर नामांकन हेतु-	एक हजार रुपये

2- निर्धारित शुल्क की धनराशि आयोग द्वारा नियत बैंक खाते अथवा निर्वाचन अधिकारी को अदा करके "प्रपत्र-ट" एवं सम्बन्धित शुल्क की रसीद के साथ नामांकन प्रपत्र उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

3- समिति के निर्वाचन अधिकारी का यह कर्तव्यों होगा की नामांकन शुल्क एवं अन्य मदों से प्राप्त धनराशि प्रत्येक दशा में निर्वाचन परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर आयोग द्वारा नियत किये गए बैंक खाते में जमा करके उसका विवरण जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी को उपलब्ध करायी जाये।

5- सहकारी समिति के सदस्य जो मतदान में भाग ले सकते हैं :-

1- उ०प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 18 के प्रावधानानुसार सहकारी समिति के सदस्य निम्न प्रकार के होते हैं:-

(क) साधारण सदस्य

(ख) सहानुभूतिकर सदस्य

(ग) नाममात्र सदस्य

(घ) सम्बद्ध सदस्य

धारा 20 के अनुसार प्रत्येक सदस्य की समिति की पूँजी में उसके हित की मात्रा कितनी ही क्यों न हों, केवल एक मत देने का अधिकार हैं। नाममात्र अथवा सम्बद्ध सदस्य को मतदान के अधिकार नहीं है।

2- निर्वाचन नियमवाली 2014 के नियम-12 (क) के अनुसार निर्वाचन की तिथि के 120 दिन पूर्व समिति के सदस्य बने साधारण अथवा सहानुभूतीकार सदस्य मतदान का अधिकार रखते हैं।

3- प्रारंभिक कृषि समिति ऋण सहकारी समितियों की स्थिति में वही सदस्य मतदान की अहर्ता रखते है, जो निर्वाचन तिथि के 120 दिन पूर्व विगत 3 सहकारी वर्षों के दौरान कम से कम किसी एक वर्ष में समिति से लेन-देन किये हों।

4- ऐसी सहकारी समिति जो परिसमापनाधीन हो अथवा प्रबन्ध कमेटी का निर्वाचन न होने के कारण निलंबित/अवक्रमित की गयी हो, के प्रतिनिधि मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

5- सदस्य द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग किये जाने एवं मत प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा-19 एवं 20 विशेष विचारणीय है, जो अधिलिखित है:-

धारा-19- **सदस्य उस समय तक अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा, जब तक की देय का भुगतान न कर दिया जाए:-**

सहकारी समिति का कोई भी सदस्य, सदस्य के अधिकारों का प्रयोग तब तक नहीं करेगा, जब तक की उसने सदस्यता के सम्बन्ध में समिति को उस धनराशि का भुगतान न कर दिया हो अथवा उसने समिति में ऐसा हित अर्जित न कर लिया हो, जो समिति के नियमों अथवा उपविधियों में निर्दिष्ट हो।

धारा-20 सहकारी समिति के सदस्य को चाहे समिति की पूँजी में उसके हित की मात्रा कितनी ही क्यों न हो, समिति के प्रशासन में एक मत (वोट) प्राप्त होगा। प्रतिबन्ध यह है कि:-

(क) नाम-मात्र अथवा सम्बद्ध सदस्य को मतदान का अधिकार न होगा;

(कक) किसी सदस्य को मतदान को अधिकार न होगा, यदि-

(i) वह बाकीदार है और कम से कम छः मास की अवधि पर्यन्त बाकीदार रहा है, या

(ii) वह ऐसी बाकीदार समिति का जैसा की उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट है, प्रतिनिधि है

स्पष्टीकरण-(1) इस खण्ड के प्रयोजनार्थ शब्द “बाकीदार” का तात्पर्य-(i) ऐसे सदस्य से है (चाहे वह कोई व्यक्ति हो या सहकारी समिति या निगमित निकाय हो) जिसने सम्बद्ध समिति के किसी देय का भुगतान देय दिनांक को न किया हो, अथवा
(ii) ऐसे सदस्य सहकारी समिति से है, जिसने देय दिनांक को कुल देयों के कम से कम 75 प्रतिशत का भुगतान न किया हो।
(ककक) किसी व्यक्ति को, जो केवल जमा करने के लिए किसी प्रारंभिक सहकारी ऋण समिति का सदस्य बनता है और उसने समिति से कोई ऋण व्यवसाय नहीं किया है, मतदान का अधिकार तभी होगा, यदि उसने अनंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के लिए नियत दिनांक से पूर्ववर्ती दो वर्षों की अवधि के लिए समिति में कम से कम एक हजार जमा धनराशी अनुरक्षित किया हो।
स्पष्टीकरण-(2) समिति और उसके सदस्य के बीच किसी संव्यवहार के साक्ष्य में कोई ऐसा दस्तावेज न हो, जिसमें, देय दिनांक विनिर्दिष्ट हो, का पूर्ववर्ती स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ पद “देय दिनांक का तात्पर्य संव्यवहार के दिनांक से 6 मास की समाप्ति का दिनांक होगा”
स्पष्टीकरण-(3) किसी सदस्य को बाकीदार नहीं समझा जायेगा, यदि वह उस धनराशि का, जिसका भुगतान न करने के कारन वह बाकीदार हुआ हो-
(क)(एक) निर्वाचन की दशा में, अस्थायी मतदाता सूचि के विरुद्ध आपत्तियों पर निर्णय देने के लिए नियमवाली के अधीन निर्धारित दिनांक को या उसके पूर्व,

(दो) किसी अन्य दशा में बैठक प्रारम्भ होने के पूर्व, भुगतान कर दे।

(ख) यदि कोई सहकारी समिति, राज्य गोदाम निगम (स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन) अथवा निगमित संस्था ऐसी समिति के सदस्य हो, को ऐसी सहकारी समिति, राज्य गोदाम निगम या निगमित संस्था के ऐसे प्रत्येक प्रतिनिधि को, जो (नियत रीति से) ऐसी समिति के सामान्य निकाय में नियुक्त किया गया हो, एक मत प्राप्त होगा,

(ग) यदि राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार ऐसी समिति के सदस्य हो, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो उपविधियों के अनुसार राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी या सामान्य निकाय में नामनिर्दिष्ट किया गया हो, एक मत प्राप्त होगा, और

(घ) नियमों या उपविधियों द्वारा व्यवस्था की जा सकती है की सदस्यों का कोई समुदाय या वर्ग समिति के सदस्यों के कार्यों में प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग ले और प्रत्येक प्रतिनिधि को एक मत प्राप्त हो।

6- प्रत्येक मतदाता को मतदान किये जाने के पूर्व आयोग द्वारा नियत किये गए अभिलेखों, में से किसी एक अभिलेख से अपने पहचान के सम्बन्ध में निर्वाचन अधिकारी को संतुष्ट किया जाना आवश्यक होगा (परिशिष्ट-2)

6-अनर्हता

1- प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की अनहर्ता निर्वाचन नियमवाली के नियम-47 में उल्लिखित है, जो अधोलिखित है:-

47- (क) कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य होने या बने रहने का पत्र न होगा, यदि-

(क) उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो;

(ख) वह दिवालिया घोषित हो;

(ग) वह विकृत मन का हो;

(घ) उसे, आयोग की राय में नैतिक पतन से सम्बन्धित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और ऐसी दोष सिद्धि अपील में रद्द न की गयी हो;

(ङ) वह या आयोग की राय में, उसके परवार का कोई सदस्य निबंधक की अनुज्ञा के बिना, सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र के भीतर उसी प्रकार का कारोबार करना शुरू करे या करता हो, जैसा सहकारी समिति द्वारा स्वयं किया जा रहा हो;

(च) वह अधिनियम या सहकारी समिति की उपविधियों के उपबंधों के प्रतिकूल सहकारी समिति के साथ कोई व्यव्हार या संविदा करे;

(छ) वह सहकारी समिति के अधीन या किसी अन्य सहकारी समिति जो ऐसी समिति से सम्बद्ध हो, के अधीन या कोई लाभ का पद स्वीकार करे या धारण करता हो;

प्रतिबन्ध यह है कि,यह प्रतिबन्ध ऐसे उत्पादकों या कर्मकारों की समितियों पर लागू नहीं होगा, जिनको राज्य सरकार ने अनुज्ञा दे दी हो की वे अपनी उपविधियों में कर्मचारियों द्वारा सहकारी समिति के प्रबन्ध में भाग लेने की व्यवस्था कर सकते हैं;

(ज) वह सहकारी समिति के सामान्य निकाय का सदस्य न हो;

प्रतिबन्ध यह है कि, इस खंड के उपबन्ध अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (6) एवं (8) के अन्तर्गत आने वाले वृत्तिक व्यक्तियों के सहयोजन पर लागू न होंगे;

(झ) वह अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया हो, जब तक की दोष सिद्धि के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गयी हो;

(ञ) वह ऐसा व्यक्ति हो, जिसके विरुद्ध किसी सहकारी समिति ने अधिनियम की धारा 91 के अधीन आदेश प्राप्त कर लिया हो और उस आदेश के पूर्ति न हुई हो;

(ट) वह अपने द्वारा लिए गए ऋण के सम्बन्ध में सहकारी समिति का (कम से कम 6 मास की अवधि से) बाकीदार हो, या वह सहकारी समिति का अधि-निर्णीत ऋणी हो;

(ठ) वह एक ही समय में तीन सहकारी समितियों अर्थात एक प्राथमिक एक केन्द्रीय और एक शीर्ष सहकारी समिति के प्रबन्ध कमेटी का पहले से ही सदस्य हो, फिर भी वह तीन से अधिक सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने के लिए हकदार होगा। ऊपर विनिर्दिष्ट तीन से अधिक समितियों की प्रबन्ध कमेटी में उसके निर्वाचित होने की दशा में उसे एक माह के भीतर समिति या समितियों की प्रबन्ध कमेटी से त्यागपत्र देना पड़ेगा ताकि

वह तीन से अधिक समितियों की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य न बना रह सके। यही वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर त्यागपत्र देने में विफल रहता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति पर यह समझा जायेगा की उसने एक शीर्ष सहकारी समिति और एक केन्द्रीय सहकारी समिति और एक प्राथमिक सहकारी समिति, जिस पर वह बाद में निर्वाचित हुआ है, के सिवाय समस्त सहकारी समिति से त्यागपत्र दे दिया है;

(ड) वह राजकीय सेवा या किसी सहकारी समिति की सेवा या निगमित निकाय से कपट, दुराचरण या अशुचिता करने के लिए पदच्युत किया गया हो और पदच्युति का ऐसा आदेश अपील में रद्द न किया गया हो;

(ढ) वह ऐसी किसी सहकारी समिति के निबन्धन के प्रार्थनापत्र में सम्मिलित हो या उसकी प्रबन्ध कमेटी का सदस्य रहा हो, जो निबन्धक द्वारा धारा 72 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन इस आधार पर समापित कर दी गयी हो कि सहकारी समिति का, निबन्धन कपटपूर्वक कराया गया था और निबंधक का ऐसा आदेश अपील में उत्क्रमित न किया गया हो ;

(ण) वह अधिनियम या नियम सहकारी समिति की उपविधियों के किसी उपबन्ध के अधीन अन्यथा अन्हर्र हो;

(त) यदि वह किसी गैर ऋण सहकारी समिति, जो केन्द्रीय सहकारी बैंक अथवा उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक का प्रतिनिधि है और वह सहकारी समिति 90 दिनों से अधिक की बकायेदार है;

(थ) यही वह प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समिति में केवल जमा करने के उद्देश्य से सदस्य बना हो और उसके द्वारा ऐसी समिति में जमा धनराशि एक हजार रुपये से कम हो गयी हों;

(द) आयोग की राय में किसी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण अथवा जानबूझ कर कोई कपटपूर्ण कृत्य अथवा कूट रचित अभिलेख के आधार पर निर्वाचन में भाग लिया गया हो, जिसके प्रभाव में उसकी उम्मीदवार एवं उसके परिणाम पर प्रभाव पड़ा हों;

(ध) यदि उसे किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय से दो वर्ष से अधिक का कारावास हुआ हो और जिसके विरुद्ध कोई स्थगनादेश प्राप्त न किया गया हो या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा आदेश को अपास्त न किया गया हो;

(2) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का कोई सदस्य, जो प्रबन्ध कमेटी की तीन लगातार बैठकों में बिना किसी उचित कारन के अनुपस्थित रहे, प्रबन्ध कमेटी का सदस्य बने रहने का हकदार न होगा।

(3) उपनियम (2) के उपबन्ध किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के नाम-निर्दिष्ट या पदेन पड़ें सदस्य पर लागू नहीं होंगे।

(4) कोई व्यक्ति जो किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यता के लिए निर्वाचन लड़े किन्तु ऐसे निर्वाचन में हार जाए, आमेलन या नाम-निर्देशन द्वारा प्रबन्ध कमेटी का सदस्य होने के लिए पात्र न होगा।

(5) उपनियम (1) के अधीन निर्धारित अनहर्ताएं निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होंगी:

(क) खण्ड ज में निर्धारित अनहर्तायें प्रबन्ध कमेटी के किसी नाम-निर्दिष्ट या पदेन सदस्य या प्रबन्ध कमेटी के ऐसे सहयोजित सदस्य पर लागू न होंगी जिसके

सहयोजन हेतु सहकारी समिति की उपविधियों के अधीन सामान्य निकाय की सदस्यता कोई शर्त नहीं थी;

(ख) उपनियम (1) के खण्ड (घ) या खण्ड (ड) में निर्धारित अनहर्ता दोष सिद्धि के अधीन, अर्थदण्ड देने, या दोष सिद्ध होने पर दण्ड पा लेने के या पदच्युति के आदेश के बाद, जैसी भी स्थिति हो, 5 वर्ष की समाप्ति के पश्चात समाप्त हो जाएगी;

(ग) उपनियम (1) के खण्ड (ख) में दी अनहर्ता किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी पर लागू न होगी, जिसको धारा 34 के अन्तर्गत किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में नामांकित किया गया हो;

(घ) कारागार के बंदियों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए जेल में बनी सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के सम्बन्ध में नियम 47 के उपनियम (1) का उपखण्ड (क), (छ), (झ), (ड) व (ध) लागू नहीं होंगे।

2- सामान्य निकाय के प्रतिनिधियों के अनर्हता-

कोई भी सहकारी समिति, समिति के प्रतिनिधि के रूप में, किसी दूसरी सहकारी समिति में प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगी, जो निर्वाचन नियमवाली के नियम-47(1) के उपनियम (क), (ख), (ग), (घ), (ड.), (च), (छ), (झ), (ज्ञ), (ट), (ड), (ढ) और (ण) में उल्लिखित अनहर्ता रखता हो।

7-सहकारी समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक के उत्तरदायित्व

1- निर्वाचन नियमवाली के नियम-32 एवं 33 की अपेक्षानुसार निर्वाचन कार्यक्रम एवं मतदान स्थल की सूचना का प्रदर्शन किया जान।

2- सहकारी अधिनियम/सहकारी नियमवाली के सुसंगत प्राविधानों तथा निर्वाचन नियमावली के नियम-12 एवं 34 के अनुसार अनंतिम मतदाता सूचि तैयार कर यथासमय निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना।

3- जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा निर्वाचन अधिकारी अथवा आयोग एवं उसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वांछित समस्त सूचनाएं एवं अभिलेख उपलब्ध कराया जाना।

4- निर्वाचन नियमावली के नियम-44(8) के उपबन्धों के अधीन निर्वाचन सम्बन्धी अभिलेखों के अभिरक्षा किया जाना।

8- निर्वाचन अधिकारी के कर्तव्य

1- सहकारी समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक द्वारा निर्वाचन नियमवाली के नियम 12 एवं 34 के प्राविधानों के अनुसार तैयार के गयी अनंतिम मतदाता सूची, जो उसके द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित करते हुए निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी को, निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम में निर्धारित तिथि एवं समय पर समिति के मुख्यालय या आवश्यकतानुसार समिति के उप कार्यालय/शाखाओं के कार्यालय में प्रदर्शित किया जायेगा।

2- अनंतिम मतदाता सूची के सम्बन्ध में आपत्तियाँ यही कोई हो, निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत दिनांक, समय और स्थान पर सुना जायेगा और उसका निस्तारण करते हुए अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी। (नियम-36)

3- अंतिम मतदाता सूची जो निर्वाचन-क्षेत्रवार, निर्वाचन अधिकारी द्वारा उक्त निस्तारण करते हुए तैयार के गयी थी, को उस पर अपने हस्ताक्षर अंकित करते हुए इस निर्वाचन स्थल, समिति के मुख्यालय और आवश्यकतानुसार समिति के उपकार्यालय या शाखा में प्रदर्शित किया जायेगा। मतदाता सूची रुपये दस प्रति पृष्ठ अथवा आयोग द्वारा समय-समय पर यथा नियत मूल्य का भुगतान करने पर निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से समिति के मुख्यालय/शाखा से प्राप्त की जा सकेगी। (नियम-37)

4- अंतिम मतदाता सूची की एक प्रति निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी को भी तत्काल उपलब्ध करायी जाएगी। (नियम-38)

5- समिति के निर्वाचन की कार्रवाई निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन नियमावली के नियम-40 से 45 के प्राविधानों के अनुसार संपन्न की जाएगी जो अधोलिखित है :-

40- (1) किसी भी व्यक्ति का नाम निर्देशन प्रपत्र समिति का निर्वाचन अधिकारी स्वीकार नहीं करेगा, यदि वह व्यक्ति-

क- मतदान के लिए पात्र न हो;

ख- अधिनियम, निर्वाचन नियमों या समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अधीन अनहर्र हो अथवा आयोग द्वारा निर्वाचन के लिए अनहर्र घोषित किया गया हो।

(2) नाम निर्देशन के लिए प्रस्ताव प्रपत्र “ट” में निर्वाचन अधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा। नाम-निर्देशन के सम्बन्ध में आपत्ति भी उसे सम्बोधित की जाएगी और ऐसी आपत्ति किसी मतदाता द्वारा ही की जाएगी ।

(3) उम्मीदवार अपना नाम-निर्देशन व्यक्तिगत रूप से या अपने प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसकी प्रविष्टि एक रजिस्टर में, प्रत्येक दशा में कालानुक्रम में की जाएगी और वह उसकी प्राप्ति भी स्वीकार करेगा और प्रपत्र “ट” की प्राप्ति रसीद सम्बन्धित उम्मीदवार या उसके नामित अभिकर्ता को उपलब्ध करायी जाएगी:

प्रतिबन्ध यह है की नाम-निर्देशन का प्रस्तावक और अनुमोदक उम्मीदवार से भिन्न कोई अन्य अहर्र मतदाता उसी निर्वाचन क्षेत्र का होगा।

(4) निर्वाचन अधिकारी द्वारा रजिस्टर में निम्नलिखित बातें उल्लिखित की जायेंगी:-

(क) उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम एवं पता;

(ख) प्रस्तावक और अनुमोदक का नाम, पिता का नाम एवं पता;

(ग) नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त होने का दिनांक, समय और उस पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

(5) निर्वाचन अधिकारी, नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने का समय समाप्त हो जाने के पश्चात् रजिस्टर में अन्तिम नाम-निर्देशन पत्र की प्रविष्टि के नीचे एक पड़ी रेखा खींचेगा, उसके नीचे शब्द (नाम-निर्देशन समाप्त) लिखेगा और दिनांक और समय सहित अपना हस्ताक्षर करेगा। नाम-निर्देशन की एक सूची, समय समाप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, समिति के सुचना पट पर प्रदर्शित की जाएगी।

(6) निर्वाचन अधिकारी नाम-निर्देशन पत्रों की परिनिरीक्षा का कार्य विनिर्दिष्ट दिनांक को वर्णमाला क्रम में करेगा और उम्मीदवार/उसका प्रस्तावक या अनुमोदर परिनिरीक्ष के समय उपस्थित रह सकता हैं।

(7) नाम-निर्देशन की परिनिरीक्षा के समय उपस्थित रह सकता है।

(क) नाम-निर्देशन पत्रों में नाम या संख्या के सम्बन्ध में किसी लिपिकीय भूल को मतदाता सूची में समनुवर्ती प्रविष्टि के अनुरूप करने के लिए अनुज्ञा दे सकता है;

(ख) जहाँ आवश्यक हो, वहा यह निर्देश दे सकता है की उक्त प्रविष्टि में किसी मुद्रण सम्बन्धी त्रुटी पर ध्यान न दिया जाए।

(8) परिनिरीक्षा के समय, निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नाम-निर्देशन पत्र पर उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने के सम्बन्ध में विनिश्चय पृष्ठांकित करेगा। अस्वीकार किये जाने के स्थिति में, वह ऐसे अस्वीकरण के लिए अपने कारणों का एक संक्षिप्त विवरण अभिलिखित करेगा। जिस उम्मीदवार का नाम निर्देशन

अस्वीकार किया जाए, वह 10 रुपये की फीस निर्वाचन अधिकारी के पास नकद जमा कर, अस्वीकरण आदेश की एक प्रति प्राप्त कर सकता है।

(9) नाम-निर्देशन वापस लेने के लिए आवेदन पत्र नियत प्रपत्र में केवल सम्बद्ध उम्मीदवार द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन अधिकारी को दिया जायेगा।

(10) जहाँ निर्वाचन अधिकारी नाम-निर्देशन वापस लेने के चिन्ह/चिन्हों पश्चात नाम-निर्देशन को अंतिम रूप दे दे, वहां पर आयोग द्वारा अनुमोदित चिन्हों की सूची से एक चिन्ह/चिन्हों के उसी क्रम में जिस क्रम में वह अनुमोदित सूची में इंगित किया गया है, प्रत्येक विधिमान्य नाम-निर्देशन के लिए आवंटित करेगा और यही विधिमान्य नाम-निर्देशन की संख्या आयोग द्वारा अनुमोदित चिन्हों की संख्या से अधिक हो तो निर्वाचन अधिकारी कोई अन्य चिन्ह आवंटित कर सकता है, जो आयोग द्वारा अनुमोदित चिन्हों से भिन्न, किन्तु उससे साम्य रखा हो। इस प्रकार आवंटित चिन्ह सम्बद्ध उम्मीदवार के लिए बाध्यकारी होगा।

(11) अंतिम नाम-निर्देशों की सूची, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पिता का नाम उनके अपने-अपने चिन्ह और नाम-निर्देशन पत्रों में दिए गए पत्रों सहित हिंदी वर्णमाला क्रम में दिए गए होंगे, निर्धारित कार्यक्रम पर नियम 36 में विहित रीति से प्रदर्शित की जाएगी।
<u>(सहकारी समितियों के निर्वाचन में प्रयुक्त होने वाले आयोग द्वारा अनुमोदित चुनाव चिन्हों के लिए परिशिष्ट-3 अवलोकनीय है</u>।)

41- प्रत्येक मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा और प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी या कोई व्यक्ति जिसे मतदान कराने के लिए या मतपत्रों की गणना के लिए नियुक्त किया गया हो, ऐसी कोई सूचना किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जो इसे प्राप्त करने के लिए विधिक रूप से अधिकृत न हो, नहीं देगा या ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा, जिससे मतदान की गोपनीयता प्रभावित होती हो।

42- कोई व्यक्ति जो निर्वाचन अधिकारी है, या निर्वाचन करने के लिए नियुक्त किया गया है या किसी समिति का कोई अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी, जिसे निर्वाचन के संचालन में सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया है, निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा, या किसी मतदाता या अभ्यर्थी को इस प्रकार प्रभावित नहीं करेगा, जिससे किसी उम्मीदवार के निर्वाचन में सफल होने की सम्भावना में वृद्धि या ह्रस होता हो।

43- (1) जहाँ विधिमान्य नाम-निर्देशनों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर या अधिक न हो, वहां निर्वाचन अधिकारी, नाम वापसी के पश्चात तत्काल उसी दिनांक को उन्हें सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित करेगा:

(2) जहाँ विधिमान्य नाम-निर्देशों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या से अधिक हो, वहां निर्वाचन अधिकारी नियत समय एवं दिनांक को मतदान करने का प्रबन्ध करेगा।

(3) प्रत्येक मतदाता को एक शलाका-पत्र दिया जायेगा, जो आयोग के द्वारा मुद्रित होगा, जिस पर हिन्दी वर्णानुक्रम के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार को आवंटित चुनाव चिन्ह मुद्रित होगा। इसमें एक खाली स्तम्भ मतदाता द्वारा उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के नाम के सामने, जिन्हें वह मतदान करना चाहे, एक चिन्ह (x) अंकित करने के लिए भी होगा।

(4) शलाका-पत्र क्रमांकित होंगे और उन पर समिति की मोहर और सम्बद्ध मतदान केंद्र के निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर भी होंगे।

(5) मतदान गुप्त शलक-पत्र द्वारा होगा। मतदाता उस उम्मीदवार के नाम के सामने, जिसे वह मतदान करना चाहता है, एक क्रॉस के चिन्ह (x) लगाएगा और तदुपरान्त शलाका-पत्र को गुप्त रूप से शलाका पेटी में दाल देगा।

(6) प्रत्येक मतदाता के उतने मत होंगे, जितने व्यक्तियों का निर्वाचन किया जाना है किन्तु कोई मतदाता किसी एक उम्मीदवार को एक से अधिक मत नहीं देगा।

(7) निर्वाचन लड़ने वाला कोई उम्मीदवार या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता शलाका-पत्र जारी किये जाने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी को प्रत्येक आपत्ती के लिए दस रुपये की फीस देकर मतदाता के अभिज्ञान के सम्बन्ध में आपत्ति कर सकता है।

(8) निर्वाचन अधिकारी आपत्ति की संक्षिप्ततः जांच करेगा और यदि ऐसी जांच के पश्चात उसकी यह राय हो की आपत्ति प्रमाणित नहीं होती है, तो वह आपत्तिकर्ता व्यक्ति को शलाका-पत्र देगा जिसके पृष्ट पर निर्वाचन अधिकारी अपनी हस्तलिपि में शब्द "आपत्तिकर्ता मत" प्रष्ठांकित करेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(9) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, उपनियम (3) के अधीन शलाका-पत्र दिए जाने के पूर्व विनिर्दिष्ट प्रपत्र में के सूची में अपने से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने अपना हस्ताक्षर करेगा या यदि वह निरक्षर हो तो वह अपने अंगूठे का निशान लगाएगा।

(10) उपनियम (8) के अधीन शलाका-पत्र प्राप्त होने पर सम्बद्ध व्यक्ति शलाका-पत्र पर उस उम्मीदवार के नाम के सामने, जिसे वह मत देना चाहता है, गुप्त रूप से क्रॉस का चिन्ह (x) लगाकर अपना मत अभिलिखित करेगा और शलाका-पत्र निर्वाचन अधिकारी को देगा जो उसे तुरंत इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गए लिफाफे में रखेगा।

(11) यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को मतदाता सूची में दिए गए किसी विशिष्ट मतदाता रूप में बताये, ऐसे मतदाता के रूप में, दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत देने के पश्चात, शलाका-पत्र

के लिए आवेदन करता है, तो उसे निर्वाचन अधिकारी को अपने पहचान के सम्बन्ध में समाधान करने के पश्चात एक शलाका-पत्र दिया जायेगा, जिसके पृष्ट भाग पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपने हस्तलिपि में शब्द "निविदत्त शलाका-पत्र" पृष्ठांकित किया जायेगा और हस्ताक्षर किया जायेगा।

(12) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, निविदत्त शलाका-पत्र दिए जाने के पूर्व विनिर्दिष्ट प्रपत्र में एक सूची में अपने से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने अपना हस्ताक्षर करेगा या यदि वह निरक्षर हो तो वह अपने अंगूठे का निशान लगाएगा।

(13) उपनियम (11) के अधीन शलाका-पत्र प्राप्त होने पर वह व्यक्ति शलाका-पत्र पर उस उम्मीदवार के नाम के सामने, जिसे वह मत देना चाहता है, गुप्त रूप के क्रॉस का चिन्ह (x) लगाकर अपना मत अभिलिखित करेगा और निविदित्त शलाका-पत्र निर्वाचन अधिकारी को देगा जो उसे तुरंत इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गए लिफाफे में रखेगा।

(14) मतदान करने वाले मतदाता को अपने मत का प्रयोग किये जाने के पूर्व आयोग द्वारा निर्दिष्ट पहचान पत्रों में से किसी एक पहचान पत्र से निर्वाचन अधिकारी को अपने पहचान के सम्बन्ध में संतुष्ट किया जाना अनिवार्य होगा।

(15) यदि हस्ताक्षरित मतपत्र बच जाता है तो उसे एक अलग लिफाफे में रखा जायेगा और मतदान के पश्चात निर्धारित प्रारूप पर प्रयोग किये गए मतपत्र, हस्ताक्षरित शेष मतपत्र, शेष सादे मतपत्र आदि की सूचना भरकर लिफाफे में रखा जायेगा।

(16) निर्वाचन अधिकारी द्वारा डायरी में शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन संपन्न होने की स्थिति में टिप्पणी अंकित करते हुए डायरी को अलग लिफाफे में रखा जायेगा। उक्त डायरी को निर्वाचन परिणाम घोषित होने के पश्चात सम्बन्धित अभिलेखों के साथ सुरक्षित अभिरक्षा में निर्धारित अवधि तक रखा जायेगा।

44-(1) (क) मतदान समाप्त होने के पश्चात तुरन्त मतों की गणना की जायेगी और यदि मतदान समाप्त होने के पश्चात तुरन्त मतगणना करना सम्भव न हो तो, मत पेटियां निर्वाचन अधिकारी द्वारा मोहर बंद कर दी जाएगी और निकटस्थ और निकटस्थ पुलिस थाने में निरापद अभिरक्षा में रखी जाएगी। उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता भी अपनी मोहर, यदि ऐसा चाहें, लगा सकता है।

(ख) निविदत्त मत एवं आपत्तिकृत मत की गणना उन्हीं परिस्थितियों में की जाएगी जब कुल पड़ें मतों से परिणाम घोषित किया जाना सम्भव न हो अर्थात किन्ही दो या अधिक उम्मीदवारों के मतों की संख्या बराबर हो जाए।

(2) कोई शलाका-पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा, यदि-

(1) उस पर मतदाता की पहचान के लिए कोई हस्ताक्षर हो,

(2) उस समिति की मोहर और सम्बद्ध मतदान केंद्र के निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी का हस्ताक्षर न हो,

(3) उस पर मतदान इंगित करने का कोई चिन्ह न हो,

(4) उस पर भरे जाने वाले स्थान/स्थानों की संख्या से अधिक चिन्ह हो।

(3) यदि किसी शलाका-पत्र पर उम्मीदवार या उम्मीदवारों के लिए चिन्ह इस प्रकार हो जिससे यह स्पष्ट न हो की किन उम्मीदवारों को मत दिया गया है तो उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(4) निर्वाचन-अधिकारी, गणना पूरी हो जाने के पश्चात यथाशीघ्र,प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों के संख्या बताते हुए निर्वाचन परिणाम की घोषणा करेगा।

(5) बराबर-बराबर मत होने की स्थिति में मामले का विनिश्चय पर्चा डालकर किया जायेगा।

स्पष्टीकरण- निर्वाचन अधिकारी द्वारा समान रंग एवं आकार की पर्ची पर उम्मीदवारों के नाम लिखकर तथा पर्ची को इस प्रकार मोड़कर की उम्मीदवार का नाम पड़ा न जा सके, शलाका-पत्र पेटी में डालेगा और उम्मीदवार से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से पेटी से एक पर्ची निकलवायेगा। उस पर्ची पर अंकित नाम वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जायेगा।

(6) निर्वाचन-अधिकारी, निर्वाचित उम्मीदवारों के सूची समिति के सूचना पट्ट पर और ऐसे सार्वजानिक स्थान पर भी जहाँ वह उचित समझे, प्रदर्शित करेगा:

प्रतिबन्ध यह है की उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, लखनऊ की शाखाओं या ऐसी समितियों की स्थिति में जिनका कार्यक्षेत्र एक से अधिक जिले में हो, सूची का प्रदर्शन ऐसी सहकारी समिति के शाखा कार्यालय या उप कार्यालय में किया जायेगा।

(7) उपनियम (6) के अधीन तैयार की गयी सूची की एक प्रतिलिपि जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी, आयोग या सम्बन्धित सहकारी समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को भेजी जाएगी।

(8) निर्वाचन सम्बन्धी प्रयुक्त शलाका-पत्र और अन्य अभिलेख किसी लिफाफे या आधान (कंटेनर) में रखे जायेंगे और निर्वाचन अधिकारी/मतदान अधिकारी उन्हें समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक को भेज देगा, जो उसकी प्राप्ति स्वीकार करेगा और यदि निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई विवाद जिले मजिस्ट्रेट अथवा आयोग को निर्दिष्ट न किया जाए तो दो माह तक उसके अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा:

प्रतिबन्ध यह है की किसी निर्वाचन वाद अथवा किसी न्यायलय में निर्वाचन सम्बन्धी याचिका के लम्बित न रहने की स्थिति में समिति के सचिव या प्रबन्ध निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर उसे नष्ट कर दिया जायेगा:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है की सचिव या प्रबन्ध निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, का यह उत्तरदायित्व होगा की अभिलेखों को नष्ट किये जाने के पूर्व आयोग द्वारा विहित प्रारूप पर उसका संक्षिप्त विवरण अंकित करे और उसे सहकारी समिति में रखा जायेगा।

(9) विशेष परिस्थितियों एवं अपरिहार्य कारणों में आयोग जनपद की सभी अथवा किसी वर्ग या वर्गों या किसी विशिष्ट समिति की मत गणना अन्य स्थान पर करने के निर्देश दे सकता है और ऐसी मतगणना आयोग द्वारा यथा नियत दिनांक को ही करायी जाएगी।

सभापति/उपसभापति एवं अन्य समितियों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन:-

45-(1) सम्बन्धित सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात सभापति/उपसभापति एवं अन्य समितियों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन निर्धारित दिनांक एवं विनिर्दिष्ट निर्देशों के अधीन कराया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी ऊपर उपर उल्लिखित नियमों में उपबन्धित की गयी है।

(2) सभापति एवं उपसभापति, प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे।

(4) प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्य, अन्य सहकारी समिति के जिसकी वह सहकारी समिति सदस्य हो, सामान्य निकाय में सहकारी समिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन सामान्य निकाय के अहर्र सदस्यों में से करेंगे:

प्रतिबन्ध यह है की जहाँ दुग्ध उत्पादक समिति के किसी सामान्य निकाय में किसी अन्य दुग्ध उत्पादक समिति का, प्रतिनिधित्व किया जाना हो, वहां ऐसी समिति का प्रतिनिधित्व उसके सभापति द्वारा किया जायेगा, जो पूर्ववर्ती सहकारी समिति की उपविधियों के अधीन प्रतिनिधि की अहर्त्ताएं पूरी करता हो।

9- निर्वाचन का रोका जाना एवं पुनः प्रारम्भ किया जाना:-

1- किसी अभ्यर्थी की मृत्यु होने पर

नियम-16- यदि किसी अभ्यर्थी, जिसका नामांकन नियम-49 के अधीन विधि द्वारा मान्य पाया गया हो और जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापस न ली हो, मृत्यु हो जाती है और मतदान होने के पूर्व उसके मृत्यु की सूचना प्राप्त हो जाती है तो निर्वाचन अधिकारी, उस अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य के सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेने के पश्चात सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के मतदान को स्थगित कर देगा और इसकी सूचना जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी और आयोग को देगा और उस निर्वाचन क्षेत्र या पद के लिए नामांकन नए सिरे से दाखिल किये जायेंगे, किन्तु उस व्यक्ति के लिए जो मतदान स्थगित किये जाने के समय निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी था, कोई अतिरिक्त नामांकन आवश्यक न होगा, और ऐसा व्यक्ति जिसने मतदान स्थगित कर दिए जाने के पूर्व अपना नामांकन वापस लिया था, वह ऐसे स्थगन किये जाने के पश्चात नामांकन दाखिल किये जाने के लिए अन्हर्र न होगा और मतदान ऐसे स्थगन के पश्चात उस दिनांक को होगा जो आयोग द्वारा नियत किया जाए।

2- विशेष परिस्थितियों में

नियम-17- समिति के निर्वाचन से सम्बन्धित प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने पर, नियम-16 में उल्लिखित कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से कोई निर्वाचन प्रक्रिया रोकी नहीं जाएगी:

परन्तु यह की यदि मतदान स्थल पर बलवे या खुली हिंसा के कारण मतदान या निर्वाचन की किसी कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हो जाए या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण निर्वाचन कराया जाना सम्भव न हो तो ऐसे निर्वाचन के लिए नियुक्त निर्वाचन अधिकारी, बाद में अधिसूचित किये जाने वाले आगामी दिनांक तक के लिए निर्वाचन के स्थगन की घोषणा करेगा। ऐसे स्थगन की सूचना तत्काल जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी और आयोग को दो जाएगी जिस पर आयोग निर्वाचन के लिए नया दिनांक नियत करेगा:

परन्तु यह और कि, निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रयोग की जा रही मतदान डायरी में पूरे घटनाक्रम का क्रमबद्ध/समयबद्ध वर्णन करने के पश्चात ही निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की जाएगी।

3- स्थगित निर्वाचन कब कराया जायेगा और किस स्टार से प्रारम्भ कर प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी

नियम- 18 यदि किसी कारण से निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी समिति का निर्वाचन रोका गया है तो निर्वाचन की प्रक्रिया उस प्रक्रम से, जहाँ पर उसे रोका गया था, या उसके पूर्व के प्रक्रम से या नए सिरे से, जैसा की आयोग विनिश्चाये करे, प्रारम्भ की जाएगी:

प्रतिबन्ध यह है की यदि नामांकन के पश्चात वैध नाम-निर्देशन पत्रों पर चुनाव चिन्हों का आबंटन कर दिया गया है तो निर्वाचन की कार्यवाही आगे चलायी जाएगी और निर्वाचन ऐसे दिनांक को कराया जायेगा जो आयोग नियत करें:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है की किसी सहकारी समिति का निर्वाचन अधिनियम की धारा-29 की उपधारा (3) के प्रतिबंधात्मक खंड के अधीन आयोग द्वारा स्थगित किया जाता है तो निर्वाचन को समस्त प्रक्रिया नए सिरे से प्रारंभ की जाएगी।

10- मतदान हेतु निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करायी जाने वाली सामग्री का विवरण

1- जहाँ विधिमान्य नाम-निर्देशनों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर या अधिक न हो, वहां निर्वाचन अधिकारी नाम वापसी के पश्चात तत्काल उसी दिनांक को निर्विरोध निर्वाचन परिणाम घोषित कर देगा।

यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने व्यक्ति निर्वाचित होने है, उससे अधिक वैध नामांकन प्रपत्र प्राप्त होते है, तो निर्वाचन अधिकारी, मतदान की व्यवस्था करेगा।

2- मतदान कराने के लिए निर्वाचन अधिकारी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने के तुरन्त बाद निर्वाचन क्षेत्रवार प्रत्याशियों एवं उनको आवंटित चुनाव चिन्ह तथा उस क्षेत्र में अहर्र मतदाताओं की संख्या का विवरण जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराएँगे तथा निर्धारित संख्या में मतपत्र, चुनौती फ़ार्म, मतपत्र लेखा फ़ार्म, टेण्डर फ़ार्म, क्रॉस सील एवं ब्रास सील के साथ निम्नलिखित सामग्री प्राप्त करेंगे:-

एक-	इंक पैड (स्याही सहित)	01 अदद
दो-	थ्रेड बाल	01 गोला
तीन-	सफ़ेद कागज़ ए-4	10 शीट
चार-	बादामी अथवा बांसी कागज़ बड़ा	02 शीट
पांच-	मोमबत्ती	02 अदद
छः -	लाख	03 सलाखें
सात-	गोंद	एक छोटी शीशी
आठ-	दफ्ती के छोटे टुकड़े	08 अदद
नौ -	पतले तार	छः
दस-	सूजा	01 अदद
ग्यारह-	सुतली	एक लच्छी (औसतन 100 ग्राम)
बारह-	काली एवं लाल पेंसिल	एक-एक अदद
तेरह-	नीला एवं काला बाल पेन	दो-दो अदद
चौदह-	लिफाफे बड़े एवं छोटे	6-6 अदद
पंद्रह-	बैलेट बॉक्स	न्यूनतम एक

विशेष :-

1- उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता हो तो जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी स्थानीय स्टार पर क्रय करके उसकी पूर्ति सुनिश्चित करेंगे।

2- मतपत्र एवं मुद्रित सामग्री की आवश्यकता का आकलन करके समय से आयोग को संसूचित करते हुए जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी का यह कर्तव्य होगा की उक्त मतपत्र एवं मुद्रित सामग्री यथासमय आयोग से प्राप्त कर सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारियों को उपलब्ध करावें।

3- यह सुनिश्चित करना जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी का दायित्व होगा की किसी सामग्री अथवा मतपत्र आदि की कमी के कारण निर्वाचन कार्य बाधित न होने पाए।

4- मतपत्रों पर प्रत्याशियों का नाम लिखवाने के दायित्व निर्वाचन अधिकारियों का होगा।

11- निर्वाचन वाद

(1) सहकारी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में क्षुब्ध पक्षकारों को निर्वाचन वाद प्रस्तुत किये जाने का विकल्प निर्वाचन नियमवाली के नियम-50 में उल्लिखित है।

(2) निर्वाचन से सम्बन्धित कोई भी वाद निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 45 दिन के भीतर व्यथित पक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(3) नियमावली में किसी अन्य बात के होते हुए भी निर्वाचन वाद दाखिल करने वाले वादी द्वारा राज्य सरकार नियत किये गए लेखा शीर्षक में निम्नवत शुल्क जमा कर मूल रसीद वाद के साथ संलग्न कर प्रस्तुत की जाएगी:-

क- प्रारंभिक सहकारी समितियों की स्थिति में-रु० एक हजार

ख- जनपद/केन्द्रीय सहकारी समितियों की स्थिति में-रु०- दो हजार

ग- राज्य स्तरीय/शीर्ष सहकारी समिति की स्थिति में- रु० पांच हजार

प्रतिबन्ध यह है की शुल्क की रसीद प्रस्तुत न किये जाने पर वाद स्वीकार नहीं किया जायेगा।

सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्पन्न करने के सम्बन्ध में मुख्या चेक प्वोइंट्स

क- निर्वाचन के पूर्व :-

1- क्या जनपद की प्रारम्भिक सहकारी समितियों, जिनके निर्वाचन कराये जाने है, से सम्बन्धित सूचना समस्त सम्बन्धित विभागों से प्राप्त कर ली गयी है ?

2- क्या जिन सहकारी समितियों के निर्वाचन होने हैं, के निर्वाचन कराये जाने हेतु आयोग द्वारा निर्धारित अवधारण शुल्क समिति द्वारा आयोग के कार्यालय ज्ञाप संख्या सी-7, दिनांक 28-05-2014 के अनुसार आयोग के नियत खाते में जमा कर दिया गया है ?

3- क्या उ०प्र० सहकारी समिति नियमवाली, 1968 के नियम-84-क के प्राविधानों के अनुसार यह निर्णय लिए जा चूका है की किन सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन के पूर्व सामान्य निकाय के गठन हेतु प्रतिनिधियों का निर्वाचन आवश्यक है और उसके अवधारण की तयारी की जा चुकी है ?

4- क्या जिन समितियों के निर्वाचन कराये जाने है, उनके निर्वाचन क्षेत्रों का अनंतिम प्रकाशन कर, उस पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए अंतिम क्षेत्र अवधारण का प्रकाशन किया जा चूका है ?

क्या उक्त में सहकारी अधिनियम की धारा-29(5) एवं निर्वाचन नियमवाली के नियम-28 के अधीन 04 संचालक पद हेतु क्षेत्र आरक्षित कर दिए गए है ?

5- क्या जिलाधिकारी/जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन योग्य प्रत्येक सहकारी समिति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है ?

6- क्या निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपेक्षित होने पर पोलिंग आफिसर की नियुक्ति की जा चुकी है ?

7- क्या उ०प्र० राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमवाली 2014 के नियम-31 के अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचित कार्यक्रम स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर दिया गया है ?

8- क्या समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक द्वारा समिति के निर्वाचन कार्यक्रम एवं मतदान स्थल की सूचना अनंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व नियम-33 के अनुसार समिति के सूचना पट एवं सम्बन्धित विकास खण्ड/जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शित कर दी गयी है?

9- क्या सहकारी समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक द्वारा नियम-12 एवं 34 के अनुसार मतदाता सूची तैयार कर ली गयी है, जो यथासमय निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करायी जा सके ?

10- क्या मतपत्र एवं अन्य निर्वाचन सामग्री आयोग के कार्यालय से प्राप्त कर ली गयी है ?

11- क्या निर्वाचन अधिकारीयों को दी जाने वाली समस्त निर्वाचन सामग्री की सूचिवार उपलब्धता सुनिश्चित हो गयी है ?

12- क्या मतपत्र एवं अन्य निर्वाचन सामग्री का वितरण का कार्यक्रम निश्चित कर लिया गया है ?

13- क्या निर्वाचन अधिकारीयों के प्रशिक्षण एवं उसकी तैयारी की तिथि निश्चित कर ली गयी है अथवा प्रशिक्षण कराया जा चुका है।

14- क्या प्रारम्भिक सहकारी समितियों से उ०प्र० सहकारी समिति नियमवाली, 1968 के नियम-85 एवं 85-क के अनुसार अन्य सहकारी समितियों/केन्द्रीय/शीर्ष सहकारी समितियों के लिए निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या से निर्वाचन अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है ?

15- क्या निर्वाचन कार्य स्थल की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए अवलोकन/निरीक्षण किया जा चूका है ?

16- क्या जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस पुलिस अधीक्षक द्वारा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु पर्याप्त पुलिस बल की व्यस्था सम्बन्धित सहकारी समितियों के निर्वाचन कार्य स्थल पर की जा चुकी है ?

17- क्या मतदान एवं मतगणना के सम्बन्ध में समस्त व्यवस्था की जा चुकी है ?

ख- निर्वाचन के पश्चात:-

1- क्या समस्त विभागों के निर्वाचन योग्य ऐसी सहकारी समितियों, जो परिसमापन के अधीन नहीं है, के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि पर संपन्न हो गए हैं ?

2- क्या निर्वाचन के उपरान्त मतपत्र एवं अन्य अभिलेख सील करके समिति के सचिव/प्रबन्ध निदेशक की अभिरक्षा में सुरक्षित रखवा दिए गए हैं?

3- क्या किसी सहकारी समिति की निर्वाचन प्रक्रिया किन्ही कारणों से अवरुद्ध होने के कारण पूर्ण नहीं हो सकी है और उसके कारणों की समीक्षा की जा चुकी है ?

4- क्या जनपद की समस्त सहकारी समितियों, जिनके निर्वाचन हो चुके हैं, का विवरण आयोग को प्रेषित कर दिया गया है?

5- क्या कोई ऐसी सहकारी समिति, जिसके निर्वाचन किसी कारणवश निर्धारित तिथियों में संपन्न नहीं हो सके हैं अथवा अवशेष है, से सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्यों से आयोग को अवगत कराते हुए अलग से निर्वाचन तिथि निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया जा चुका है ?

6- क्या सभी समितियों के चुनाव परिणाम निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर से प्राप्त हो गए हैं तथा उन्हें पत्रावली में इंडेक्स सहित लगा लिया गया है ?

7- क्या निर्वाचन रजिस्टर में चुनाव परिणाम समितिवार अंकित कर लिए गए हैं ?

8- क्या सभी निर्वाचन अधिकारीयों ने रसीद बुक वापस कर दी है एवं प्राप्त समस्त धनराशि आयोग के नियत खाते में जमा कर दी है ?

9- क्या जिन निर्वाचन अधिकारीयों ने रसीद बुक वापस नहीं की है या प्राप्त समस्त धनराशि जमा नहीं की है, के विरुद्ध कार्रवाई हेतु जिलाधिकारी/जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी तथा उनके सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को लिखा जा चुका है ?

10- क्या अवशेष मतपत्र एवं अवशेष अन्य निर्वाचन सामग्री का विवरण तैयार कर उसे आगामी प्रयोग हेतु सुरक्षित रखा जा चुका है ?

11- क्या जनपद में खोले गए आयोग के निर्वाचन खाते में उपलब्ध धनराशि का सम्पूर्ण विवरण आयोग को प्रेषित किया जा चुका है ?

परिशिष्ट – 1

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली-2014 के नियम-64(क) में व्यवस्था है की, किसी सहकारी समिति या किसी वर्ग या वर्गों की सहकारी समितियों के निर्वाचन करने हेतु धनराशि का निर्धारण आयोग द्वारा विशेष या सामान्य आदेश से अवधारित किया जायेगा और यह धनराशि उस समिति, जिसका निर्वाचन किया जाना है, की निधि से देय होगी।

उपर्युक्त विधिक प्राविधानों के अधीन प्रदेश के समस्त प्रकार की सहकारी समितियों हेतु अधोलिखित विवराणानुसार निर्वाचन कराने हेतु धनराशि का निर्धारण किया जाता है :-

1-	सहकारिता विभाग की समस्त प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियों, सहकारी संघ (ब्लाक यूनियन), क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं अन्य प्रारम्भिक समितियों, उद्यान विभाग की समस्त प्रारम्भिक सहकारी समितियों, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग की समस्त प्रारम्भिक समितियों, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड विभाग की समस्त प्रारम्भिक, सहकारी समितियों, मत्स्य विभाग की समस्त प्रारम्भिक सहकारी, समितियों, दुग्ध विभाग की समस्त प्रारम्भिक सहकारी समितियों, उद्योग विभाग की समस्त प्रारम्भिक सहकारी समितियों, एवं रेशम विभाग की समस्त प्रारम्भिक सहकारी समितियों से -	रु० 1250.00 प्रति समिति
2-	गन्ना विभाग की समस्त प्रारम्भिक सहकारी समितियों एवं आवास विभाग की समस्त प्रारम्भिक सहकारी समितियों से -	रु० 5000.00 प्रति समिति
3-	सहकारिता विभाग के केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार, जिला सहकारी संघ एवं सहकारिता के साथ-साथ अन्य समस्त विभागों की अन्य केन्द्रीय सहकारी समितियों से -	रु० 5000.00 प्रति समिति
4-	केन्द्रीय/जिला सहकारी बैंक, नगरीय सहकारी बैंक एवं बैंकिंग का व्यवसाय करने वाले अन्य सहकारी समितियों से -	रु० 12500.00 प्रति समिति
5-	उ०प्र० आलू विकास एवं विपणन सहकारी संघ लि० फर्रुखाबाद से -	रु० 125000.00
6-	उ०प्र० जूट एवं कृषि विकास संघ लि० लखनऊ से -	रु० 125000.00
7-	उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि० लखनऊ से -	रु० 125000.00
8-	प्रादेशिक कोआपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन लि० लखनऊ से -	रु० 125000.00
9-	मेसर्स यू०पी० एपेक्स एक्सपोर्ट कोआपरेटिव सोसाइटी मार्के० एसो० लि० कानपुर से -	रु० 125000.00
10-	मे० यू०पी० हैण्ड० टैक्स० एपेक्स मार्केट कोआपरेटिव फेडरेशन लि० कानपुर से -	रु० 125000.00
11-	मे० यू०पी० एपेक्स हैण्ड० मार्केट एपेक्स कोआपरेटिव फेडरेशन लि० कानपुर से -	रु० 125000.00

12-	मे० यू०पी० टैक्स प्रोड० हैण्ड० मार्के० एपेक्स कोआपरेटिव फेडरेशन लि० कानपुर से -	रु० 125000.00
13-	अन्य शीर्ष सहकारी समितियों से -	रु० 125000.00
14-	उ०प्र० अर्बन कोआपरेटिव बैंक फेडरेशन लि० लखनऊ से -	रु० 25000.00
15-	दि कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लि० (सेस) लखनऊ से -	रु० 25000.00
16-	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि० लखनऊ से -	रु० 25000.00
17-	मे० यू०पी० इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसिएशन लि० (यूपिका), कानपुर से -	रु० 25000.00
18-	उ०प्र० राज्य औद्योगिक सहकारी विपणन संघ लि० लखनऊ से -	रु० 50000.00
19-	उ०प्र० मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि० लखनऊ से -	रु० 50000.00
20-	प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि० लखनऊ से -	रु० 50000.00
21-	उ०प्र०विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लखनऊ से -	रु० 100000.00
22-	उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ लि० लखनऊ से -	रु० 100000.00
23-	उ०प्र० कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लि० लखनऊ से -	रु० 100000.00
24-	उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०	रु० 100000.00
25-	उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि० लखनऊ से -	रु० 100000.00
26-	उ०प्र० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, (पी०सी०एफ़०), लखनऊ से -	रु० 100000.00

ह०
(गंगादीन यादव)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त

कार्यालय मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
उ०प्र० राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग, लखनऊ

पत्रांक सी-7 /रा०स०स०नि०आ०(निर्धारण)/ दिनांक: लखनऊ : मई 28, 2014

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं से प्रेषित की, अपने क्षेत्राधिकार की सहकारी समितियों के सम्बन्ध में अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारीयों/समितियों को संसूचित करने का कष्ट करें:-

1- समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता/जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त उप आयुक्त एवं उप निबन्धक, सहकारिता/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र० लखनऊ।
4- आयुक्त, गन्ना विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
5- आयुक्त, दुग्ध विकास, उ०प्र०, लखनऊ।
6- आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ।
7- निदेशक, मत्स्य विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
8- निदेशक, रेशम विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
9- निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ०प्र०, कानपुर।
10- निदेशक, उद्योग विभाग, कानपुर।
11- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ०प्र० लखनऊ।
12- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
13- गार्ड फाइल।

(एल०एम० चौबे)
निर्वाचन आयुक्त

परिशिष्ट – 2

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० राज्य सहकारी समितियों के सामान्य निकास के प्रतिनिधियों, प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों, सभापति, उपसभापति एवं अन्य समितियों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन में मतदाता द्वारा अपने मत का प्रयोग किये जाने के पूर्व अधोलिखित निर्दिष्ट पहचान पत्रों में से किसी एक से निर्वाचन अधिकारी को उ०प्र० सहकारी समिति निर्वाचन नियमवाली 2014 के नियम 43(14) के अधीन निर्वाचन अधिकारी को अपने पहचान के सम्बन्ध में संतुष्ट किया जाना अनिवार्य होगा :-

1- भारत निर्वाचन आयोग के मतदान पहचान पत्र
2- ड्राइविंग लाइसेंस
3- पैन कार्ड
4- बैंक पासबुक
5- आधार कार्ड
6- राशन कार्ड
7- किसान जोत बही
8- पासपोर्ट
9- मनरेगा जाब कार्ड
10- समिति द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पास बुक
11- किसी शासकीय कार्यालय/निगम/उपक्रम/संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत पहचान पत्र

ह०
(गंगादीन यादव)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त

कार्यालय मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
उ०प्र० राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग, लखनऊ

पत्रांक सी-15 /रा०स०स०नि०आ०(निर्धारण)/ दिनांक: लखनऊ : जून 13, 2014

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता/जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

2- निर्वाचन अधिकारी, सम्बन्धित समितियाँ द्वारा समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक,

सहकारिता/जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त उप आयुक्त एवं उप निबंधक, सहकारिता/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5- प्रबन्ध निदेशक, समस्त शीर्ष सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश।

6- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र० लखनऊ।

7- गन्ना आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ।

8- दुग्ध आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ।

9- आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ।

10- निदेशक, मत्स्य उ०प्र० लखनऊ।

11- निदेशक, रेशम उ०प्र० लखनऊ।

12- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ०प्र० लखनऊ।

13- निदेशक उद्योग, उ०प्र० कानपुर।

14- निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, कानपुर ।

15- मुख्या कार्यपालक अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।

16- गार्ड पत्रावली ।

(एल०एम० चौबे)
निर्वाचन आयुक्त

परिशिष्ट -3

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० राज्य की समस्त सहकारी समितियों के सामान्य निकाय के प्रतिनिधियों, प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों, सभापति, उपसभापति एवं अन्य समितियों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन नियमावली 2014 के नियम 40(10) में प्रदत्त शक्ति के अधीन उ०प्र० राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग द्वारा अधोलिखित चुनाव चिन्ह प्रयोग किये जाने हेतु अनुमोदित किये जाते हैं:-

1-	शेर,	12-	दो पत्ती,	23-	मछली,
2-	कार,	13-	कुल्हाड़ी,	24-	गुलाब का फूल,
3-	अलमारी,	14-	छत का पंखा,	25-	ट्रेक्टर,
4-	घोडा,	15-	कंघा,	26-	मुर्गा,
5-	छाता	16-	घड़ा,	27-	डमरू,
6-	चारपाई	17-	उगता हुआ सूरज,	28-	पतंग,
7-	लालटेन,	18-	तारा,	29-	नल,
8-	कलम-दवात	19-	गमला,	30-	चश्मा,
9-	बगुला,	20-	तराजू,	31-	मेज,
10-	ऊँट	21-	कुर्सी,	32-	सिलाई मशीन
11-	कप-प्लेट,	22-	गिलास,		

उपर्युक्त चुनाव चिन्नो का प्रयोग निम्न प्रतिबंधों के अधीन किया जायेगा :-

3- उपर्युक्त चुनाव चिन्नो को प्रत्याशियों के नामों के हिन्दी वर्णमाला क्रम में क्रमवार आवंटित किया जायेगा।

2- यदि एक से अधिक प्रत्याशियों के नाम का प्रथम अक्षर एक समान हो, वहां ऐसे मामलों में चुनाव चिन्हों का आवंटन नाम के अगले अक्षर द्वारा आवंटित किया जायेगा।

3- यदि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या, किसी निर्वाचन क्षेत्र में 32 से अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसे चुनाव चिन्ह, जो किसी राष्ट्रीय राजनितिक दल एवं प्रदेश के किसी राजनितिक दल द्वारा प्रयोग हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है और सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित चुनाव चिन्हों से साम्यता एवं जिससे आमजन भली-भांति परिचित हो, का प्रयोग किया जा सकता है।

ह०
(गंगादीन यादव)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त

कार्यालय मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
उ०प्र० राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग, लखनऊ

पत्रांक सी-14 /रा०स०स०नि०आ०(निर्धारण)/ दिनांक: लखनऊ : जून 13, 2014

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता/जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त उप आयुक्त एवं उप निबन्धक, सहकारिता/मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- प्रबन्ध निदेशक, समस्त शीर्ष सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश।
5- आयुक्त गन्ना विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
6- आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, उ०प्र० लखनऊ।
7- गन्ना आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ।
8- दुग्ध आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ।
9- आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ।
10- निदेशक, मत्स्य, उ०प्र० लखनऊ।
11- निदेशक, रेशम, उ०प्र० लखनऊ।
12- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ०प्र० लखनऊ।
13- निदेशक, उद्योग, उ०प्र० कानपुर।
14- निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग।
15- मुख्या कार्यपालक अधिकारी, खादी एवं वस्त्रोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
16- प्रमुख सचिव, सहकारिता, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
17- गार्ड फाइल ।

(एल०एम० चौबे)
निर्वाचन आयुक्त